REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052023-245617 CG-DL-E-03052023-245617

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1940]नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945No. 1940]NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/ VAISAKHA 12, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, एवं किसान कल्याण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2023

का.आ. 2028(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के (भूतपूर्व कृषि मंत्रालय और सहकारिता) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, एवं किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1589(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2005 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 11 नवम्बर, 2005 में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, शीर्षक "धारा 3 की उपधारा (5) के खंड (क) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष" के अधीन प्रविष्टि डॉ. कुंबले विनोद प्रभु के स्थान पर **डॉ. त्रिलोचन महापात्र** प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. 14012 / 1 / 2022–एस.डी.V]

शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में का.आ. 1589(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम का.आ. 908(अ), तारीख 1 मार्च, 2018 द्वारा संशेधित की गई।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2023

S.O. 2028(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in (erstwhile Ministry of Agriculture and Cooperation) the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare), vide number S.O. 1589(E), dated the 11th November, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), dated the 11th November, 2005 namely:-

In the said notification, under the heading "Chairperson appointed under clause (a) of sub-section (5) of section 3" for the entry Dr. Kumble Vinod Prabhu", the entry " Dr Trilochan Mohapatra" shall be substituted.

[F. No. 14012/1/2022- SD.V]

SHUBHA THAKUR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 1589(E), dated the 11th November, 2005 and was last amended vide S.O. 908(E), 1st March, 2018.